न्यायालय उपजिलाधिकारी खलीलाबाद, जनपद— संत कबीर नगर

वाद संख्या — 26/2010

| | |
|---|---|
| चैतन्य भारत सोसल प्रमोशनल सोसाइटी—142ए पाकेट—बी मयूर विहार फेस—2 दिल्ली द्वारा जनरल सिक्रेटरी चैतन्य प्रकाश गर्ग पुत्र श्री ओमप्रकाश ~~गुप्तर्श~~ गर्ग पता— स्कीम नं0— 08 गांधी नगर.इक्सटेंशन अलवर राजस्थान<br>बनाम<br>राज्य सरकार | अन्तर्गत धारा—143 ज0विनाश अधिनियम, साकिन — भुजैनी, तप्पा— रामपुर पैली, परगना— मगहर पूरब, तहसील— खलीलाबाद, जनपद— संत कबीर नगर । |

## निर्णय

चैतन्य भारत सोसल प्रमोशनल सोसाइटी —142 ए पार्कट— वी मयूर विहार फेस—2 दिल्ली जनरल सिक्रेटरी चैतन्य प्रकाश गर्ग द्वारा इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया कि चैतन्य भारत सोसल प्रमोशनल सोसाइटी एक पंजीकृत संस्था है। जिसका वैधानिक पंजीकरण संख्या— 64741/2009 है। उपरोक्त संस्था का उद्देश्य शैक्षणिक संस्थान, कालेज, यूनिवर्सिटी तथा मेडिकल एजूकेशन आदि संस्थाओं को स्थापित करना है। सोसाइटी ने शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने के लिए भूखण्ड बजरिए बैनामा प्राप्त किया है। शैक्षणिक संस्थान स्थापित होने से शिक्षा का स्तर ऊँचा उठेगा तथा रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। उक्त संस्थान जनहित में स्थापित हुआ है। संस्थान की भूमि पूर्णतः अकृषिक रूप में प्रयोग हो रही है। आराजी संख्या— 330 मि0 /2.529 हे0, 380/0.527 हे0, 387/0.126 हे0, 373/0.126 हे0, 379/0.567 हे0 तथा 382 मि0/0.182 हे0 शिक्षण संस्थान में प्रयुक्त होने के कारण शैक्षणिक संस्थान/अकृषिक घोषित किया जाय।

उक्त प्रार्थना पत्र की जांच तहसीलदार खलीलाबाद से करायी गयी। तहसीलदार खलीलाबाद की आख्या दिनांक— 13.08.2010 के अनुसार ग्राम— भुजैनी, तप्पा— रामपुर पैली के आराजी संख्या— 330 मि0 /2.529 हे0, 380/0.527 हे0, 387/0.126 हे0, 373/0.126 हे0, 379/0.567 हे0 तथा 382 मि0/0.182 हे0 चैतन्य भारत सोसल प्रमोशनल सोसाइटी —142 ए पाकेट— बी मयूर विहार फेस—2 दिल्ली द्वारा जनरल सिक्रेटरी चैतन्य प्रकाश गर्ग पुत्र ओमप्रकाश गर्ग पता— स्कीम नं0— 08 गांधी नगर इक्सटेंशन अलवर राजस्थान के नाम संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। उक्त गाटा में कृषि कार्य नही किया जाता है। शैक्षणिक संस्थान हेतु चहारदीवारी का निर्माण कार्य चल रहा है। आराजी निजाई पूर्णतः अकृषिक हो चुका है। उक्त आराजी निजाई को शैक्षणिक संस्थान/अकृषिक घोषित करने की आख्या प्रेषित है।

मैने सायल के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यो से स्पष्ट है कि गाटा संख्या— 330 मि0 /2.529 हे0, 380/0.527 हे0, 387/0.126 हे0, 373/0.126 हे0, 379/0.567 हे0 तथा 382 मि0/0.182 हे0 चैतन्य भारत सोसल प्रमोशनल सोसाइटी —142 ए पाकेट— बी मयूर विहार फेस—2 दिल्ली जनरल सिक्रेटरी चैतन्य प्रकाश गर्ग के नाम संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। उक्त गाटा में कृषि कार्य नही किया जा रहा है। आराजी निजाई में चहारदीवारी का निर्माण कार्य चल रहा है। आराजी निजाई पूर्णतः अकृषिक हो चुका है। आराजी निजाई को शैक्षणिक संस्थान/अकृषिक घोषित किया जाना न्याय संगत प्रतीत होता है तथा तहसीलदार खलीलाबाद की आख्या दिनांक 13.08.2010 स्वीकार किये जाने योग्य है।

## आदेश

अतः तहसीलदार खलीलाबाद की आख्या दिनांक— 13.08.2010 स्वीकार किया जाता है। ग्राम— भुजैनी, तप्पा— रामपुर पैली के आराजी संख्या— 330 मि0 /2.529 हे0, 380/0.527 हे0, 387/0.126 हे0, 373/0.126 हे0, 379/0.567 हे0 तथा 382 मि0/0.182 हे0 को शैक्षणिक संस्थान/अकृषिक घोषित किया जाता है। परवाना जारी हो। आदेश की एक प्रति उपनिबन्धक खलीलाबाद को भेजी जाय। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

(सुरेश चन्द्र)

दिनांक— 18.08.2010

Chaitanya Bharat Pharmacy College

Gen. Secretary/Director

For Chaitanya Pharmacy College

Secratory/Chairman